संख्याः 92/2025/781/35-4-2025/35-4099/373/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 20 अगस्त,2025

विषयः जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद-गाजीपुर की विधानभा क्षेत्र-मुहम्मदाबाद में शासनादेश संख्या-443/2021/2320/35-4-2021, दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित 01 कार्य की रू0 253.37 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 25.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या-720/2023/1952/35-4-2023/001-35-4099-373/2021, दिनांक 17 जुलाई, 2023 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 101.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार अब तक कुल रू0 126.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक-67/त्वरित आर्थिक विकास योजना/2024, दिनांक 18.01.2025 एवं पत्रांक-255/त्वरित आर्थिक विकास योजना/2024 दिनांक 7.03.2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय होना इंगित किया गया है। एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 में स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष गठित अनुबन्ध एवं अन्य अनुसांगिक मदों की लागत के आधार पर उभर कर आई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष रू0 119.42 लाख (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(धनराशि रू0 लाख में)

कार्य	अनुमोदित लागत	गठित अनुबन्ध एवं अनुसांगिक मदों की लागत	बचत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
जसदेवपुर मोड से ग्राम सुखडेहरा तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	253.37	246.1	7.27	126.68	119.42

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 एवं दिनांक 17 जुलाई, 2023 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,19,42,000/- (रूपये एक करोड़ उन्नीस लाख बयालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 92/2025/781(1)/35-4-2025/35-4099/373/2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7. मंडलायुक्त, वाराणसी।
8. प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
10. मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर।
13. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड, गाजीपुर।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।